भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2859

दिनांक 10 मार्च, 2026

किसानों को प्रशिक्षण

2859. डॉ. आनन्द कुमार गोंड :

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का कृषि विश्वविद्यालयों और कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से किसानों को 15 से 30 दिनों के अल्पकालिक आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों के जरिए वैज्ञानिक और नई तकनीक आधारित कृषि पद्धतियों में व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करने का विचार है;

(ख) क्या सरकार का यह मत है कि उक्त प्रकार के प्रशिक्षणों से उत्पादकता और किसानों की आय में वृद्धि होगी, लागत कम होगी, फसलों में विविधता आएगी और आधुनिक तकनीकों के विस्तार को बढ़ावा मिलेगा और जब प्रशिक्षित किसान अपने खेतों पर इन तकनीकों का उपयोग करेंगे, तो अन्य किसान भी उनके द्वारा सीखे गए ज्ञान से लाभान्वित हो सकेंगे;

(ग) यदि हां, तो प्रस्तावित योजना का ब्यौरा क्या है और उक्त योजना के कार्यान्वयन की कार्ययोजना क्या है तथा तत्संबंधी समय-सीमा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त संरचित योजना के दीर्घकालिक लाभों को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार की योजना शुरू करने पर विचार करेगी?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री
(श्री भागीरथ चौधरी)

(क) से (घ) : किसानों की उत्पादकता तथा आय में वृद्धि के लिए भारत सरकार द्वारा कृषि विश्वविद्यालयों (एयू), कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके) और अन्य विस्तार संस्थानों के माध्यम से किसानों के क्षमता निर्माण एवं कौशल विकास के लिए विभिन्न प्रौद्योगिकी उन्मुख कार्यक्रमों का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इन कार्यक्रमों में अल्प अवधि के एवं मध्यम अवधि के प्रायोगिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शामिल हैं जिनमें वैज्ञानिक एवं आधुनिक प्रौद्योगिकी आधारित कृषि प्रणालियों को कवर किया गया है। वर्ष 2024-25 के दौरान इस प्रकार के 3683 प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का आयोजन किया गया जिससे 66430 किसानों को लाभ प्राप्त हुआ।

मौजूदा ढ़ांचे के अंतर्गत कृषि विश्वविद्यालयों (एयू) और कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके) द्वारा विभिन्न अवधियों के लिए आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जिनमें आवासीय वोकेशनल प्रशिक्षण कार्यक्रम, उन्नत फसल उत्पादन तकनीकों पर मुख्य रूप से ध्यान देना, एकीकृत नाशीजीव प्रबंधन, प्राकृतिक खेती, यंत्रीकरण, कटाई-उपरांत प्रबंधन, मूल्य-वर्धन, डिजीटल कृषि और जलवायु-अनुकूल प्रक्रियाएं आदि शामिल हैं।

संरचनात्मक एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण से किसानों के ज्ञान एवं कौशल में वृद्धि होती है; उन्नत प्रौद्योगिकियों को अपनाने में सुविधा होती है; जिससे आगत (इनपुट) लागतों में कमी आती है; लाभप्रदता में वृद्धि और उच्च मूल्य वाली फसलों में विविधता आती है; और अंत में इससे किसानों की आय में वृद्धि होती है। इस प्रकार प्रशिक्षित किसान प्राय: स्थानीय संसाधन के रूप में कार्य करते हैं और प्राप्त ज्ञान को संबंधित क्षेत्रों के अन्य किसानों के साथ परस्पर साझा करते हैं।

इसके अतिरिक्त, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी (एटीएमए), कृषि यांत्रिकीकरण उप-मिशन (एसएमएएम) और अन्य फ्लैगशिप कार्यक्रमों जैसे राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (एनएमएनएफ), राष्ट्रीय टिकाऊ कृषि मिशन (एनएमएसए), राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन (एनएफएसएनएम), एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) इत्यादि जैसी विभिन्न योजनाओं का मुख्य भाग यह संरचनात्मक प्रशिक्षण कार्यक्रम है जिन्हें सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यान्वित किया जा रहा है।

******